



प्रधानआयुक्तसीमाशुल्क(आयात) का कार्यालय
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER OF CUSTOMS
(IMPORT),
हवाईमाल परिसर, सहार, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400099
AIR CARGO COMPLEX, SAHAR, ANDHERI (E), MUMBAI - 400099
Email: Pro.acc-sahar@gov.in

दिनांक: 10.04.2026

सार्वजनिक सूचना संख्या: 03/2026-27

विषय: 'Eligible Manufacturer Importer' (EMI) को सीमा शुल्क के स्थगित भुगतान के लाभ का विस्तार

आयातकों, कस्टम ब्रोकर्स और अन्य सभी हितधारकों का ध्यान CBIC परिपत्र संख्या 08/2026-कस्टम्स दिनांक 28.02.2026 तथा अधिसूचना संख्या 12/2026-कस्टम्स (N.T.) दिनांक 01 फरवरी, 2026 की ओर आकर्षित किया जाता है, जो "Eligible Manufacturer Importer" (EMI) को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 47 की उपधारा (1) के प्रावधान के अंतर्गत सीमा शुल्क आयात शुल्क के स्थगित भुगतान की सुविधा का लाभ उठाने की अनुमति देता है। सीमा शुल्क के स्थगित भुगतान की सुविधा पात्र EMI को 01.04.2026 से उपलब्ध कराई जाएगी।

2. सीमा शुल्क आयात शुल्क के स्थगित भुगतान की सुविधा, संशोधित *Deferred Payment of Import Duty Rules, 2016* द्वारा शासित होगी। यह अपेक्षित है कि इस सुविधा का विस्तार पात्र निर्माता आयातकों को उनके आयातित माल के बंदरगाहों/हवाई अड्डों/ICDs पर सीमा शुल्क निकासी में तेजी लाने में सहायक होगा। यह सुविधा EMI को 31 मार्च 2028 तक उपलब्ध रहेगी और यह अपेक्षित है कि ऐसे स्वीकृत EMI इस अवधि के भीतर AEO T2/T3 मान्यताएँ प्राप्त करने में सक्षम होंगे, जिससे EMI को सुनिश्चित सुविधा और प्राथमिकता उपचार प्राप्त होगा तथा AEO T2/T3 को उपलब्ध अन्य लाभों का लाभ उठा सकेंगे। AEO मान्यता प्राप्त संस्थाओं के मौजूदा लाभों का भी विस्तार किया जाएगा।

3. सीमा शुल्क आयात शुल्क के स्थगित भुगतान की सुविधा उन पात्र निर्माता आयातकों को उपलब्ध होगी जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हैं:

a. **निर्माता और आयातक की स्थिति:** आवेदक को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 2(26) के अनुसार आयातक होना चाहिए तथा CGST अधिनियम की धारा 2(72) के अनुसार निर्माता होना चाहिए या; यदि आवेदक निर्माता नहीं है, तो वह CGST अधिनियम की धारा 143 के प्रावधान के अंतर्गत जॉब वर्क हेतु बिना कर भुगतान के अपने इनपुट/पूँजीगत वस्तुएँ भेजने वाला आयातक होना चाहिए;

b. IEC: DGFT द्वारा जारी वैध आयातक निर्यातक कोड (IEC) होना चाहिए;

c. कस्टम उपस्थिति: आवेदन की तिथि से पूर्व के पिछले वित्तीय वर्ष में कम से कम 25 EXIM दस्तावेज (बिल ऑफ एंट्री/शिपिंग बिल) दाखिल किए होने चाहिए। MSME आवेदक के लिए EXIM दस्तावेज दाखिल करने की न्यूनतम आवश्यकता 10 है;

d. GST पंजीकरण: CGST/SGST अधिनियम, 2017 के अंतर्गत कम से कम एक सक्रिय GST पंजीकरण प्रमाणपत्र होना चाहिए;

e. सक्रिय GSTIN में विनिर्माण घोषणा: यदि आवेदक निर्माता है, तो उसे सक्रिय GSTIN के FORM REG-01 (या तो कॉलम 16(d) या कॉलम 20(d)) में, उल्लिखित परिसर में किए जा रहे व्यवसाय की प्रकृति को "factory/manufacturing" के रूप में घोषित करना चाहिए। जहाँ आवेदक के पास अनेक सक्रिय GST पंजीकरण हैं, वहाँ कम से कम एक सक्रिय GSTIN में व्यवसाय की प्रकृति "factory/manufacturing" दर्शाई जानी चाहिए। यदि आवेदक निर्माता नहीं है, परंतु उसके किसी सक्रिय GSTIN द्वारा CGST अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत जॉब वर्क हेतु बिना कर भुगतान के इनपुट/पूँजीगत वस्तुएँ भेजी जाती हैं, तो ऐसे GSTIN द्वारा पिछले दो अर्धवार्षिक GSTR ITC-04 दाखिल किए गए होने चाहिए। इसके अतिरिक्त, जॉब वर्कर के पास भी एक सक्रिय GSTIN होना चाहिए और उसे FORM REG-01 (या तो कॉलम 16(d) या कॉलम 20(d)) में उक्त परिसर में किए जा रहे व्यवसाय की प्रकृति "factory/manufacturing" घोषित करनी चाहिए। जहाँ जॉब वर्कर के पास अनेक सक्रिय GST पंजीकरण हैं, वहाँ कम से कम एक सक्रिय GSTIN में व्यवसाय की प्रकृति "factory/manufacturing" Form REG-01 में दर्शाई जानी चाहिए;

f. टर्नओवर सीमा: आवेदक के सभी GSTIN (जिनका PAN समान है) का कुल वार्षिक समेकित टर्नओवर पिछले वित्तीय वर्ष में ₹5 करोड़ से अधिक होना चाहिए;

g. व्यवसाय निरंतरता: आवेदन की तिथि से पूर्व कम से कम दो (02) वित्तीय वर्षों तक व्यवसाय गतिविधियाँ होनी चाहिए। निर्माता के मामले में, सक्रिय GST पंजीकरण (जिसमें कम से कम एक परिसर में व्यवसाय की प्रकृति "factory/manufacturing" घोषित है) की "व्यवसाय प्रारंभ तिथि" आवेदन की तिथि से कम से कम 02 वित्तीय वर्ष पूर्व की होनी चाहिए। यदि आवेदक निर्माता नहीं है, परंतु उसके किसी GSTIN द्वारा CGST अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत जॉब वर्क हेतु इनपुट/पूँजीगत वस्तुएँ भेजी जाती हैं, तो ऐसे GST पंजीकरण की तिथि आवेदन की तिथि से कम से कम 02 वित्तीय वर्ष पूर्व की होनी चाहिए;

h. GST अनुपालन: आवेदक द्वारा सभी सक्रिय GSTIN के संबंध में आवेदन की तिथि तक देय सभी लंबित GSTR-3B रिटर्न दाखिल किए गए होने चाहिए;

1. **एकत्रित GST परंतु जमा नहीं:** ऐसा कोई उदाहरण नहीं होना चाहिए कि आवेदक द्वारा कर एकत्रित किया गया हो लेकिन सरकार के पास जमा नहीं किया गया हो, जैसा कि CGST अधिनियम, 2017 के अंतर्गत प्रावधान है;

j. **केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर एकत्रित परंतु जमा नहीं:** ऐसा कोई उदाहरण नहीं होना चाहिए कि आवेदक द्वारा शुल्क एकत्रित किया गया हो लेकिन सरकार के पास जमा नहीं किया गया हो, चाहे वह केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 या वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय V के अंतर्गत हो;

k. **दिवालियापन/अदायगी अक्षमता:** आवेदन की तिथि से पूर्व के दो वित्तीय वर्षों के दौरान आवेदक वित्तीय रूप से सक्षम होना चाहिए। आवेदक वर्तमान में दिवालिया, परिसमापन या दिवालियापन की स्थिति में सूचीबद्ध नहीं होना चाहिए। आवेदकों को निर्धारित प्रपत्र में चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा;

l. **गिरफ्तारी/दोषसिद्धि:** आवेदक या उसका स्वामी (प्रोप्राइटरशिप फर्म के मामले में) या उसके साझेदार (पार्टनरशिप फर्म के मामले में) या उसके निदेशक मंडल/निदेशक किसी भी कानून के अंतर्गत, जैसे कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944, वित्त अधिनियम, 1994 का अध्याय V, या CGST/SGST अधिनियम, 2017, या किसी अन्य प्रचलित कानून के अंतर्गत गिरफ्तार या दोषसिद्ध नहीं हुए होने चाहिए;

m. **अभियोजन:** आवेदक या उसका स्वामी या उसके साझेदार या उसके निदेशक मंडल/निदेशक के विरुद्ध उपरोक्त अधिनियमों या किसी अन्य लागू कानून के अंतर्गत कोई लंबित अभियोजन कार्यवाही नहीं होनी चाहिए;

n. **पूर्व अस्वीकृति:** "Eligible Manufacturer Importer" के रूप में स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदक का पूर्व आवेदन इस कारण से अस्वीकृत नहीं हुआ होना चाहिए कि पूर्व आवेदन में दी गई कोई जानकारी या घोषणा गलत पाई गई थी या कोई दस्तावेज जाली पाया गया था;

o. **पूर्व निलंबन:** अतीत में "Eligible Manufacturer Importer" के रूप में आवेदक की स्थिति इस आधार पर निलंबित नहीं की गई होनी चाहिए कि पूर्व आवेदन में दी गई कोई जानकारी या घोषणा बाद में गलत पाई गई थी या कोई दस्तावेज जाली पाया गया था।

[स्पष्टीकरण: मौजूदा AEO-T1 इकाइयाँ (MSME सहित) जो उपरोक्त पात्रता मानदंडों को पूरा करती हैं, इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए भी पात्र होंगी।]

4. वह पात्र निर्माता आयातक जो शुल्क के स्थगित भुगतान की सुविधा का लाभ उठाना चाहता है, 01 मार्च, 2026 से www.aeoindia.gov.in पोर्टल पर "Eligible Manufacturer Importer" टैब के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र में, Appendix-I के अनुसार, तथा Appendix-II और Appendix-III में

निर्दिष्ट दस्तावेजों के अपलोड के साथ, इलेक्ट्रॉनिक रूप से पंजीकरण कर आवेदन प्रस्तुत करेगा। पात्रता शर्तों की जांच और संतुष्टि के पश्चात, निदेशालय अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क (DIC), CBIC का नामित अधिकारी आवेदन को "Eligible Manufacturer Importer" के रूप में स्वीकृत करेगा। इसके अतिरिक्त, स्वीकृति प्रदान करते समय, DIC, CBIC का नामित अधिकारी सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली में विवरण अपडेट करेगा ताकि शुल्क के स्थगित भुगतान की सुविधा सक्षम हो सके। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए EMI द्वारा किसी अतिरिक्त कार्रवाई की आवश्यकता नहीं होगी।

5. स्वीकृति के पश्चात, EMI द्वारा नियुक्त/अधिकृत नोडल व्यक्ति www.icegate.gov.in पर उपलब्ध 'Advisory' में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए ICEGATE लॉगिन प्राप्त करेगा। इसका लिंक (<https://www.icegate.gov.in/guidelines/registration-2>) पर उपलब्ध है। ऐसे नोडल व्यक्ति का संपर्क विवरण ICEGATE लॉगिन में सत्यापन और प्रमाणीकरण के लिए प्रदान किया जाएगा। नोडल व्यक्ति EMI की ओर से सभी सीमा शुल्क संबंधी लेनदेन का प्रमाणीकरण करेगा।
6. वह पात्र EMI जो सीमा शुल्क आयात शुल्क का स्थगित भुगतान करना चाहता है, वह दाखिल किए गए Bill of Entry के Payment Method कॉलम में "D" फ्लैग का उपयोग करके इसे इंगित करेगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह सुविधा केवल पात्र आयातक द्वारा ही ली जा रही है, ICEGATE लॉगिन में EMI की ओर से नोडल व्यक्ति को इस आशय की पुष्टि करने और अपने पंजीकृत ईमेल/संपर्क नंबर पर भेजे गए One Time Password (OTP) के माध्यम से प्रमाणीकरण करने का विकल्प प्रदान किया गया है। नोडल व्यक्ति एक साथ अनेक Bills of Entry का प्रमाणीकरण कर सकेगा। केवल ऐसे प्रमाणीकरण के पश्चात ही संबंधित खेप के लिए *Deferred Payment of Import Duty Rules, 2016* के अंतर्गत सीमा शुल्क निकासी प्रदान की जाएगी।
7. सीमा शुल्क आयात शुल्क के स्थगित भुगतान की देय तिथियाँ उक्त नियमों के नियम 4 में निर्दिष्ट हैं, जिन्हें संदर्भ हेतु निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:
 - i. ऐसे माल के लिए, जिनका Bill of Entry किसी भी माह (मार्च को छोड़कर) की 1 तारीख से लेकर उस माह के अंतिम दिन तक भुगतान हेतु लौटाया गया है, शुल्क का भुगतान अगले माह की 1 तारीख तक किया जाएगा;
 - ii. ऐसे माल के लिए, जिनका Bill of Entry 1 मार्च से 31 मार्च तक भुगतान हेतु लौटाया गया है, शुल्क का भुगतान 31 मार्च तक किया जाएगा।
8. पात्र EMI के पास यह विकल्प भी है कि वह स्थगित अवधि से संबंधित चालानों का चयन कर अपनी सुविधा अनुसार, देय तिथि से पहले भी किसी भी समय सीमा शुल्क आयात शुल्क का भुगतान कर सकता है।

9. प्रत्येक आयात कस्टम स्टेशन पर सीमा शुल्क आयात शुल्क के स्थगित भुगतान की सुविधा के उपयोग से संबंधित रिपोर्ट ICES में उपलब्ध है, जो संबंधित प्रधान आयुक्त/आयुक्त के डैशबोर्ड में प्रदर्शित होती है। प्रधान आयुक्त/आयुक्त अपने अधिकार क्षेत्र से संबंधित आयातों की निगरानी कर सकते हैं और उक्त नियमों के अनुसार समय पर शुल्क भुगतान सुनिश्चित कर सकते हैं। भुगतान न होने की स्थिति में, इसकी सूचना DIC, CBIC को दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त, DIC, CBIC का नामित अधिकारी, CBIC परिपत्र संख्या 08/2026-कस्टम्स दिनांक 28.02.2026 के पैरा 4 के अंतर्गत प्रदान की गई स्वीकृति को निलंबित/रद्द कर सकता है, यदि EMI किसी भी समय इस सुविधा के लिए अयोग्य हो जाता है।
10. DIC ने व्यापार और उद्योग से प्राप्त प्रश्नों, सुझावों, प्रतिक्रिया, शिकायतों, अभ्यावेदन आदि को प्राप्त करने और समयबद्ध तरीके से उनका समाधान करने हेतु एक समर्पित हेल्पलाइन स्थापित की है (ईमेल: emihelpdesk-dic@gov.in; फोन नंबर: 011-23310014)। कार्यान्वयन में आने वाली किसी भी अन्य कठिनाई को Additional Commissioner of Customs, Technical (Import), ACC, Mumbai (email-pro.acc-sahar@gov.in) के संज्ञान में लाया जा सकता है। सहायता, स्पष्टीकरण और जानकारी के लिए आयातक और कस्टम ब्रोकर्स हमारे हेल्प डेस्क TSK (Turant Suvidha Kendra) से email-tsk.accmumbaizone3@gov.in / Tel-022-26816696 पर संपर्क कर सकते हैं या हमारी आधिकारिक वेबसाइट <https://mumbaicustomszone3.gov.in> पर जा सकते हैं।

(मनीष चन्द्रा)
(मनीष चन्द्रा)

प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क (आयात)
ACC, मुंबई

प्रतिलिपि:

1. प्रधान मुख्य आयुक्त कस्टम, मुंबई कस्टम जोन-III, मुंबई।
2. प्रधान आयुक्त/आयुक्त कस्टम (सामान्य एवं निर्यात), ACC, मुंबई।
3. सभी अतिरिक्त/संयुक्त आयुक्त कस्टम (आयात), ACC, मुंबई।
4. सभी अतिरिक्त/संयुक्त आयुक्त कस्टम (सामान्य एवं निर्यात), ACC, मुंबई।
5. सभी उप/सहायक आयुक्त कस्टम (आयात), ACC, मुंबई।
6. व्यापार संघ।
7. कस्टम ब्रोकर संघ (BCBA)।
8. MIAL / एयर इंडिया।
9. EDI अनुभाग (वेबसाइट पर अपलोड हेतु) ।
10. कार्यालय प्रति।